भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2758
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

महाराष्ट्र से प्राप्त शिक्षा प्रस्ताव

†2758. **श्री अनूप संजय धोत्रे:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से सरकार को प्राप्त शिक्षा से संबंधित प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) उक्त में से स्वीकृत/लंबित प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है; और
(ग) लंबित प्रस्तावों को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है तथा अधिकांश स्कूल और स्कूलों में क्रियाकलापों/गतिविधियों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

समग्र शिक्षा, पीएम श्री, पीएम पोषण, स्टार्स और उल्लास योजना के अंतर्गत समग्र शिक्षा रूपरेखा में उल्लिखित घटकों के अनुसार उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होती हैं। इसके बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानकों, पूर्व में स्वीकृत कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार किया जाता है। अनुमोदित एडब्ल्यूपी एंड बी के आधार पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय हिस्सा संबंधित राज्य सरकार को जिलावार या घटकवार के स्थान पर वित्तीय मानदंडों के अनुसार दो या अधिक किस्तों में जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य पर निर्भर है कि वह अपनी प्राथमिकता और ज़रूरतों के अनुसार इस निधि का उपयोग करे। वर्ष 2025-26 के प्रस्तावों को अभी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इस मंत्रालय की योजना का विवरण निम्नानुसार है:

समग्र शिक्षा

विभाग ने वर्ष 2018-19 से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित करके स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा शुरू की थी। समग्र शिक्षा योजना को अब एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसे दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा गया है। विगत तीन वर्षों और जारी वर्ष के लिए महाराष्ट्र राज्य में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत जारी केंद्रीय भाग का विवरण निम्नानुसार है:

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए महाराष्ट्र राज्य में समग्र शिक्षा योजना के तहत अनुमोदित पीएबी प्रस्ताव के केंद्रीय हिस्से और जारी केंद्र के हिस्से का विवरण निम्नानुसार है::

(रुपये करोड़ में)

राज्य	वर्ष	अनुमोदन (केंद्रीय हिस्सा)	जारी केंद्रीय हिस्सा
महाराष्ट्र	2021-22	1013.70	693.02
	2022-23	1234.18	900.00
	2023-24	1317.43	998.79
	2024-25	1321.89	769.12

राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ बनाना (स्टार्स)

राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण (स्टार्स) कार्यक्रम को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में छह राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में 5 वर्षों की अवधि में अर्थात् वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य चयनित राज्यों में विद्यार्थियों के परिणामों में तथा चयनित राज्यों में स्कूल शिक्षा के प्रशासन में सुधार लाना है। परियोजना के लक्षित लाभार्थी 3 से 18 वर्ष की आयु (प्री-स्कूल से कक्षा XII तक) के बच्चे, शिक्षा संस्था और शिक्षक हैं।

विगत तीन वर्षों और जारी वर्ष के लिए महाराष्ट्र राज्य में स्टार्स योजना के अंतर्गत अनुमोदित पीएबी प्रस्ताव और जारी केंद्र हिस्सेदारी का विवरण निम्नानुसार है::

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

राज्य	वर्ष	अनुमोदन	अनुमोदन(केंद्रीय हिस्सा)	जारी केंद्रीय हिस्सा
महाराष्ट्र	2021-22	129.80	77.88	24.71
	2022-23	155.15	93.09	22.46
	2023-24	335.45	201.27	156.26
	2024-25	532.4	319.44	75.36

पीएम श्री स्कूल

पीएम श्री स्कूलों की स्थापना केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके की जाती है। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना है तथा पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक समतामूलक, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं, जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखते हैं और उन्हें एनईपी 2020 की संकल्पना के अनुसार छात्रों द्वारा उनकी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाते हैं।

पीएम श्री योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य से 207 प्राथमिक स्कूल, 468 प्रारंभिक स्कूल, 110 माध्यमिक स्कूल और 42 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों सहित कुल 827 स्कूलों का चयन किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महाराष्ट्र राज्य में पीएम श्री योजना के लिए स्वीकृत पीएबी प्रस्ताव और जारी केंद्र हिस्सेदारी का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

राज्य	वर्ष	अनुमोदन	अनुमोदन (केंद्रीय हिस्सा)	(दिनांक 03/03/2025) तक जारी केंद्रीय हिस्सा
महाराष्ट्र	2023-24	211.35	126.81	63.42
	2024-25	504.63	302.77	71.00

पीएम उषा (पूर्ववर्ती (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा))

सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है।

पीएम-उषा के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य द्वारा राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्राप्त प्रस्तावों पर समुचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। राज्य से प्राप्त सभी प्रस्तावों को विचार एवं अनुमोदन हेतु परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के समक्ष रखा गया। समुचित विचार-विमर्श और चर्चा के बाद पीएबी ने विभिन्न घटकों के अंतर्गत 814.24 करोड़ रुपये की राशि के 61 प्रस्तावों को मंजूरी दी। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत राज्य का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)

उल्लास, अर्थात् समाज में सभी के लिए आजीवन अधिगम की समझ एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है और इसे वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों को शिक्षा

के अवसर प्रदान करना है, जो औपचारिक स्कूल शिक्षा से वंचित रह गए तथा निरक्षर हैं।

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए महाराष्ट्र राज्य में अनुमोदित पीएबी प्रस्ताव के केंद्रीय हिस्से और उल्लास योजना के तहत जारी केंद्र के हिस्से का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

राज्य	वर्ष	अनुमोदन (केंद्रीय हिस्सा)	जारी केंद्रीय हिस्सा
महाराष्ट्र	2022-23	756.69	567.52
	2023-24	1398.17	शून्य*
	2024-25	1398.17	शून्य

* व्यय की धीमी गति के कारण

पीएम-पोषण

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाने वाली सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। पात्र बच्चों को पका हुआ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निर्दिष्ट पोषण सामग्री को पूरा करने के लिए अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी व्यंजन सूची नियत करते हैं।

विगत तीन वर्षों और जारी वर्ष के लिए महाराष्ट्र राज्य में पीएम पोषण योजना के तहत अनुमोदित पीएबी प्रस्ताव और जारी केंद्रीय हिस्से का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

राज्य	वर्ष	अनुमोदन (केंद्रीय हिस्सा)	(दिनांक 07/03/2025) तक जारी केंद्रीय हिस्सा
महाराष्ट्र	2021-22	121547.20	49075.07
	2022-23	106981.63	159240.67
	2023-24	109955.50	79372.10
	2024-25	132919.98	42744.56

*****